न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/03/2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला–अलवर–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रवेश तिथि 13.02.2020

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.03.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.01.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रा0पत्र सं0 42/2016 दिनांकः 30.12.16 उनवान सरकार बनाम गिर्राज, लालाराम पुत्रान मातादीन, वगै0 संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति/सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन–पत्र दिनांकः 04.01.2020 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.02.20 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 2020/618–19 दिनांकः 17.02.20 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 04.01.20 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः 334 दिनांकः 30.01.20 के माध्यम से वांछित सूचना में पत्रावली की किस्म, मुकदमा नंबर सही नहीं होने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं होने व वांछित जानकारी स्पष्ट कर भिजवाने हेतु लिखा जाकर/विनिश्चय किया जाकर सूचित किया है।
10. अतः उक्त अपील का निर्णय इस प्रकार किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित नकल/सूचना संबंधी जानकारी स्पष्ट कर विवरण प्रत्यर्थी कार्यालय को उपलब्ध करा देता है तो प्रत्यर्थी विभाग वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी से सूचना प्राप्ति हेतु नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा कर सूचना/प्रतिलिपि जारी करे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR ... ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)